कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–688/2754 रायपुर, दिनांक 09/11/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

Subject: **Compliance Report against the conditions of First stage FC for diversion of 7.116 ha of Forest land in favor of NMDC Limited for construction Slurry Pipeline Project-associated Facilities of Conveyor gallery, iron ore concentrate pipeline and tailing dam pipelinefor project under Forest Conservation Act, 1980 in Dantewada District in the State of Chhattisgarh- regarding.**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-I/CH-96/2018-NGP/05 दिनांक 24.11.2020।

2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/व.त.अ./ 2598 दिनांक 13.10.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मण्डल अन्तर्गत एन.एम.डी.सी. लिमिटेड का Slurry Pipeline Project-associated Facilities of Conveyor gallery, iron ore concentrate pipeline and tailing dam pipeline for के लिए रकबा 7.116 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
ii.	(a) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 16.00 ha of degraded forest land in Dantewada Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Dantewada Division shall be planted and monoculture of any species may be avoided	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित राशि आवेदक संस्थान द्वारा निम्नानुसार जमा किया गया है। जमा राशि का विवरण परिशिष्ट – 1 में संलग्न है।

क्र.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मद में भुगतान का विवरण	निर्धारित दर	राशि	यू.टी.आर. संख्या	दिनांक
1	2020-21	7,26,270	1,16,20,320	SBINR52020123104	31.12.2020
2	2021-22 Differential amount	7,98,897	11,62,032	SBINR52021070631684603	06.07.2021
	Total		**1,27,82,352**		

<table>
<tr><td>iii.</td><td>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.</td><td>वनमंडल द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत योजना वर्तमान में प्रचलित दर के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त योजना के आधार पर लागत राशि आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त कंडिका कमांक – 2 में दिये गये अनुसार जमा किया गया है।

आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>iv. a</td><td>The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 7.116 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;</td><td>प्रस्तावित क्षेत्र रकबा 7.116 हेतु प्रत्याशा मुल्य गणना प्रत्रक अनुसार राशि 66,81,924/– रूपये मात्र कैम्पा खाते में यू.टी.आर. कमांक SBIN118086020697 के माध्यम से जमा किया गया है। संबंधित दस्तावेज परिशिष्ट – 1 संलग्न है।

<table><tr><th>NPV Rate (Rs)</th><th>NPV Amount (Rs)</th><th>UTR</th><th>Date</th></tr><tr><td>939000</td><td>66,81,924</td><td>SBINR52020123104</td><td>31.12.2020</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>iv. b</td><td>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>v.</td><td>User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।</td></tr>
</table>

vi.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-porta/ (https.'//parivesh.nil.in	आवेदक संस्थान द्वारा कैम्पा खाते में जमा की जाने वाली समस्त राशि को ई–पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है।
vii.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पूर्ण अनुपालन कर Form - 1 along with copies of records of meeting and consularions with, Gram Sabha, Sub-Divisional Committee की मुलप्रति पूर्व में वनभूमि व्यपवर्तन हेतु संलग्न किया गया हैं। पुनः छायाप्रति परिशिष्ट – 2 में संलग्न है।
viii.	No felling of trees shall be done in the RoW of 7.0 meters earmarked for stacking of soil. Stacking of soil shall be allowed for a temporary period of 2-3 weeks only;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
ix.	The State Forest Department shall enumerate trees falling in the RoW of 7.0 meters proposed for stacking of soil. After completion of the project, the number of trees in the RoW of 7.0 shall be re-confirmed by the State Forest Department and damage, if any, shall be reported to the Regional Office. Forest land shall be handed over to the User Agency after re-confirmation of the number of pre-enumerated trees.	शर्त पालन हेतु 7.0 मी. के चौड़ाई में वृक्षों की गणना कार्य किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :– वनमंडल का नाम: दंतेवाड़ा — 7 मी. के चौड़ाई में स्थित वृक्षों की संख्या: 70
x.	After completion of pipeline laying work, the stacked soil shall be filled back into the trench and area will be restored to its natural state. The User Agency, in consultation with the State Forest Department, shall undertake gap plantation in the RoW of 7.0 meters with forestry species at project cost. A scheme of plantation, duly approved by the competent authority in the State Forest Department shall be prepared and implemented by the Agency and a copy of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance	आवेदक संस्था को शर्तमान्य है। इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है। 7.0 मी. क्षेत्र में गैप प्लांटेशन किये जाने हेतु योजना तैयार कर योजनानुसार राशि रू. 8,03,769/– कैम्पा मद में आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है।

Nested table in row ix:

वनमंडल का नाम	7 मी. के चौड़ाई में स्थित वृक्षों की संख्या
दंतेवाड़ा	70

	report	
xi	Wherever possible, user agency in consultation with State Forest Department shall minimize the numbers of trees to be felled and maximum efforts shall be made to keep fully grown fruit bearing trees intact. A report on same shall be submitted to Integrated Regional Office along with compliance report of Stage-I approval	आवेदक संस्था को शर्तमान्य है। इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है। फलदार वृक्षों की गणना कर गणना पत्रक संलग्न है।
xii.	The pipeline shall be laid down at least 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be levelled	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xiii.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016 में जारी भारत सरकार का राजपत्र में प्रकाशित के अनुसार वर्तमान प्रस्ताव जो राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारणों में नहीं है को पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
xiv.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xv.	No labour camp shall be established on the forest land	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xvi.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xvii.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the projectcost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer	सीमांकन एवं मुनारा निर्माण हेतु आवेदक संस्थान से डी.डी. के माध्यम से प्राप्त निम्नानुसार राशि को नियमानुसार पी.डी. खाते में चालान कमांक – 35 दिनांक 02.06.2021 के तहत् जमा किया गया है – **परिशिष्ट 3** में संलग्न है। DD No: 355821 — Dated: 08/04/2021 — Amount (Rs): 10,57,800/-
xviii.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xix.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।

xx.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xxi.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xxii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xxiii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है इस बाबत् वचन पत्र संलग्न है।
xxiv	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https.//parivesh.nic.in/)	अनुपालन रिपोर्ट E- portal parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार (2 प्रति में)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115– 688/2755
रायपुर, दिनांक 09 /11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े 495 वृक्षों के विदोहन हेतु तैयार वृक्ष विदोहन योजना की अनुशंसा की जाती है।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

— क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 24.10.2020 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।

— वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।

3. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
4. **महाप्रबंधक** स्लरी पाईप लाईन बैलाडिला भवन, जगदलपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
o/c छत्तीसगढ़